रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1225] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939
No. 1225] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

indiacode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

का.आ. 1388(अ).—केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से खपत की गई ऊर्जा की तीव्रता या मात्रा और ऊर्जा दक्ष उपकरण में प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक निवेश की राशि तथा इसमें निवेश के लिए उद्योग की क्षमता और ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष मशीनरी और उद्योग द्वारा आवश्यक उपकरण की उपलब्धता के विषय में, इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ड.) के अधीन अधिसूचित (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट 9 ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों को तारीख 19 मार्च, 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित तारीख 12 मार्च, 2007 के का. आ. 394(अ) में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा अभिहित उपभोक्ता कहा गया है;

और केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों की सूची का पुनर्विलोकन किया है और यह समाधानप्रद है कि ऊर्जा के कुछ अन्य प्रयोक्ताओं या प्रयोक्ताओं के वर्ग को उक्त आदेश में अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है कि केवल उन ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापनों को समय समय पर अभिहित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया जाए, जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक उद्योग या स्थापन के प्रति उपदर्शित की गई है:

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ड.) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेश और संशोधन में निम्नलिखित ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापन को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :

उक्त आदेश में, उप पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"12. वाणिज्यिक भवन या स्थापन (होटल) - वाणिज्यिक भवनों या स्थापनों के तहत उक्त होटलों की खपत प्रतिवर्ष 1000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एमटीओई) और इससे अधिक यूनिट की है।"

[फा. सं. 10/06/2015 –ईसी]
राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का. आ. सं. 394(अ.), तारीख 12 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन कां.आ. सं. 2022(अ.) तारीख 8 जून, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

S.O. 1388(E).—Whereas the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, having regard to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to the energy efficient equipment and capacity of industry to invest in it and availability of the energy, energy efficient machinery and equipment required by the industry, notified under clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) [hereinafter referred to as the said Act], nine energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, as designated consumers by notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 394(E), dated the 12th March, 2007 [hereinafter referred to as the said Order], published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th March, 2007;

And whereas, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has reviewed the list of energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, and is satisfied that some other user or class of users of energy may be specified as designated consumers in the said Order;

And whereas, the Central Government considered it necessary to provide that only those energy intensive industries and other establishments having annual energy consumption as indicated against each industry or establishment by the Central Government from time to time shall be notified as designated consumers:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e) of section 14 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the said Order to specify the following energy intensive industry and other establishments, as designated consumers, namely:—

In the said Order, after sub-paragraph 11, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"12. Commercial buildings or establishments (Hotels) – Units of such hotels under commercial buildings or establishments having energy consumption of 1,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above."

[F. No.10/06/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.394(E), dated the 12th March, 2007 and last amended vide notification number S.O 2022(E), dated the 8th June, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.04 12:25:26 +05'30'